

कार्यकारी सारांश (एग्जिक्यूटिव समरी)

हार्थिए से नेतृत्व तक: भारत के स्थानीय शासन में जाति और लैंगिक मानदंडों की राजनीति



लेखक: राहुल कुमार और एकता बरशी

फरवरी 2026

पॉलिसी एंड डेवलपमेंट एडवाइजरी ग्रुप के बारे में



पॉलिसी एंड डेवलपमेंट एडवाइजरी ग्रुप (PDAG Consulting LLP) नई दिल्ली स्थित एक सामाजिक प्रभाव पर केंद्रित परामर्श संस्था है, जो सार्वजनिक नीति, सामाजिक शोध और रणनीतिक संचार के संगम पर कार्य करती है। इसका उद्देश्य साक्ष्य-आधारित, डेटा-आधारित और जन-केंद्रित नीति-निर्माण को आगे बढ़ाना है।

पीडीएजी सरकारों, बहुपक्षीय संस्थाओं, शैक्षणिक संस्थानों, निजी क्षेत्र और नागरिक समाज संगठनों के साथ साझेदारी में कार्य करता है, ताकि ठोस विश्लेषण को व्यापक स्तर पर नीति-कार्रवाई में बदला जा सके।

लेखकों के बारे में

राहुल कुमार पीडीएजी में वरिष्ठ सहयोगी परामर्शदाता हैं और इस अध्ययन का नेतृत्व उन्होंने किया है। वे मिश्रित-पद्धति के शोधकर्ता और नीति-विशेषज्ञ हैं। उनका कार्य शासन और सामाजिक समानता से जुड़े मुद्दों तक विस्तृत है। वे ज़मीनी स्तर के शोध को विश्लेषणात्मक और रणनीतिक नीति-विश्लेषण के साथ जोड़कर साक्ष्य-आधारित निर्णय-निर्माण को समर्थन देते हैं।

एकता बरथी पीडीएजी में समालोचनात्मक नारीवादी एथनोग्राफर और विकास शोधकर्ता हैं। उनका कार्य गुणात्मक, एथनोग्राफिक और क्रियात्मक-अनुसंधान पद्धतियों पर आधारित है। वे जेंडर(लैंगिक) और स्थानीय शासन पर विशेष ध्यान देते हुए सामाजिक तथा राजनीतिक असमान गतिशीलताओं और अवरोधों की पड़ताल करती हैं तथा उन्हें रूपांतरित करने की दिशा में कार्य करती हैं।

आभार

यह रिपोर्ट पॉलिसी एंड डेवलपमेंट एडवाइजरी ग्रुप (PDAG) के सहयोगियों के व्यापक सहयोग से तैयार की गई है। लेखक विशेष रूप से पीडीएजी के संस्थापक दल के सदस्य तथा वरिष्ठ प्रिंसिपल परामर्शदाता कुणाल सिंह के प्रति आभारी हैं, जिन्होंने पूरे कार्यकाल के दौरान रणनीतिक मार्गदर्शन और संस्थागत पर्यवेक्षण प्रदान किया।

इस अध्ययन को एक समर्पित शोध दल का सहयोग प्राप्त हुआ: अंकना दास, नव्या श्रीराम, मृणाल हेम्ब्रम, ममता कुमारी, तथा इंटर्न्स श्रेया सिद्धेशपांडे, नेहा कुमारी और नांगसेल शेरेपा।

हम ALIGN कार्यक्रम के प्रति कृतज्ञ हैं, जिसने इस अध्ययन का दायित्व सौंपा और इसे पूरा करने के लिए आवश्यक बौद्धिक तथा संस्थागत सहयोग उपलब्ध कराया। हम विशेष रूप से ALIGN और ODI ग्लोबल के जान मिखाल्को के निरंतर मार्गदर्शन और विश्लेषणात्मक सहभागिता के लिए आभारी हैं। अध्ययन की रूपरेखा तैयार करने से लेकर अनेक चरणों की समीक्षा तक, उनके सुझावों ने इस रिपोर्ट की वैचारिक स्पष्टता, तुलनात्मक विश्लेषण और समग्र सुसंगतता को उल्लेखनीय रूप से सुदृढ़ किया।

हम बाहरी समीक्षकों प्रोफेसर मंजुला भारती और प्रोफेसर अनघा तांबे का भी आभार व्यक्त करते हैं, जिनकी रचनात्मक टिप्पणियों ने पांडुलिपि की स्पष्टता और विश्लेषण की कठोरता को और परिष्कृत किया।

हम अपने साझेदार संगठनों के योगदान को भी स्वीकार करते हैं—महाराष्ट्र में रिसोर्स एंड सपोर्ट सेंटर फॉर डेवलपमेंट (RSCD) तथा झारखंड में ग्राम वाणी और मंथन—जिन्होंने फील्ड स्तर पर महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया।

इसके अतिरिक्त, हम प्रोडक्शन टीम के प्रति भी आभार व्यक्त करते हैं: संपादन के लिए टेरेसे जॉनसन, टाइपसेटिंग के लिए गार्थ स्टीवर्ट, तथा प्रूफरीडिंग के लिए जेन लैनिंगन।

सबसे बढ़कर, हम उन निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के प्रति अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं जिन्होंने इस शोध में भाग लिया और उदारतापूर्वक अपने अनुभव तथा राजनीतिक यात्राएँ साझा कीं। उनके समय, विश्वास और स्पष्ट संवाद के बिना यह रिपोर्ट संभव नहीं थी। उनके अनुभव इस अध्ययन की अनुभवजन्य आधारशिला हैं।

हम यह कार्य उन हाशिए पर रही महिलाओं को समर्पित करते हैं, जो अक्सर गंभीर संरचनात्मक बाधाओं के बावजूद सार्वजनिक जीवन में अपनी राह बनाती रहती हैं।

मुख्य शब्द

आदिवासी: आदिवासी भारत के कई समुदायों द्वारा अपनाई गई एक सामाजिक-सांस्कृतिक और राजनीतिक पहचान है। इस पहचान में मूलनिवासी होने, भूमि-अधिकार और सांस्कृतिक स्वायत्तता पर विशेष जोर दिया जाता है। यह कोई संवैधानिक श्रेणी नहीं है। कानूनी श्रेणी “अनुसूचित जनजाति (ST)” है, जिसे संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत अधिसूचित किया जाता है। कई आदिवासी समुदायों को संवैधानिक रूप से एसटी के रूप में मान्यता प्राप्त है।

आंबेडकरवादी आंदोलन: आंबेडकरवादी आंदोलन भारत का एक व्यापक सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन है, जो डॉ. भीमराव आंबेडकर के विचारों और उनके संघर्षों से प्रेरित है। इसका मुख्य उद्देश्य जाति-व्यवस्था का उन्मूलन और लोकतांत्रिक अधिकारों, गरिमा तथा वास्तविक समानता को बढ़ावा देना है।

ऐतिहासिक रूप से इस आंदोलन ने संवैधानिक मूल्यों, कानूनी सुधार, शिक्षा और जन-संगठन के माध्यम से ब्राह्मणवादी पितृसत्ता और जातिगत पदानुक्रम को चुनौती दी है। महाराष्ट्र में इस आंदोलन का विशेष प्रभाव रहा है, जिसने दलित राजनीतिक चेतना, महिलाओं की सार्वजनिक जीवन में भागीदारी और राज्य संस्थाओं के साथ अधिकार-आधारित जुड़ाव को आकार दिया है।

दलित: दलित कई अनुसूचित जाति समुदायों द्वारा अपनाई गई एक सामाजिक-राजनीतिक पहचान है, जिसका उपयोग गरिमा स्थापित करने और जाति-आधारित भेदभाव के प्रतिरोध के लिए किया जाता है। “दलित” स्वयं कोई संवैधानिक श्रेणी नहीं है। कानूनी श्रेणी “अनुसूचित जाति (SC)” है, जिसे संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत अधिसूचित किया जाता है। दलित वे समुदाय हैं जिन्हें ऐतिहासिक रूप से पारंपरिक जाति व्यवस्था में ‘अस्पृश्य’ मानकर हाशिए पर रखा गया।

निर्वाचित महिला प्रतिनिधि: वे महिलाएँ जो पंचायती राज संस्थाओं में चुनी जाती हैं। इसमें सरपंच, मुखिया, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य शामिल हैं।

सामान्य / अनारक्षित: वे सीटें या पद जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित नहीं होते। कानूनी रूप से ये सभी नागरिकों के लिए खुले होते हैं, लेकिन व्यवहार में इन पर अक्सर ऊँची जातियों का प्रभाव अधिक देखा जाता है।

ग्राम सभा: ग्राम सभा गाँव के उन सभी वयस्क निवासियों की सभा है, जिनका नाम मतदाता सूची में दर्ज हो। यह स्थानीय शासन में प्रत्यक्ष भागीदारी और जवाबदेही का प्रमुख मंच है। ग्राम सभा के माध्यम से गाँव की विकास योजनाओं, लाभार्थी सूचियों और कल्याण संबंधी प्राथमिकताओं की समीक्षा और अनुमोदन किया जाता है, जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 243A और राज्य पंचायती राज कानूनों में प्रावधान है।

मुखिया: झारखंड, बिहार और पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में ग्राम पंचायत का निर्वाचित प्रमुख। महाराष्ट्र में इसका समकक्ष पद “सरपंच” है।

अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC): वे समुदाय जिन्हें संविधान के अनुच्छेद 15(4) और 16(4) के तहत सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा माना गया है। इस श्रेणी को मंडल आयोग और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के माध्यम से संस्थागत मान्यता मिली।

महाराष्ट्र में इस वर्ग की कुछ उप-श्रेणियाँ इस प्रकार हैं:

- घुमंतू जनजातियाँ (Nomadic Tribes - NT)
- विमुक्त जातियाँ / डीनोटिफाइड-घुमंतू जनजातियाँ (Vimukta Jatis - VJNT)
- विमुक्त / घुमंतू जनजातियाँ (Vimukta - VT)

पंचायती राज संस्थाएँ: भारत की तीन-स्तरीय स्थानीय शासन व्यवस्था:

- ग्राम पंचायत - गाँव स्तर
- पंचायत समिति - प्रखंड / ब्लॉक स्तर
- जिला परिषद - जिला स्तर

ये संस्थाएँ स्थानीय स्तर पर योजना, बजट और विकास कार्यों के क्रियान्वयन का समन्वय करती हैं।

प्रॉक्सी नेतृत्व / प्रॉक्सी व्यवस्था: ऐसी स्थिति जिसमें चुनी हुई महिला प्रतिनिधि की ओर से उसका पति, कोई पुरुष रिश्तेदार या राजनीतिक मध्यस्थ अनौपचारिक रूप से अधिकार और निर्णय-निर्माण की भूमिका निभाता है।

सरपंच: महाराष्ट्र और कई अन्य राज्यों में ग्राम पंचायत का निर्वाचित प्रमुख।

अनुसूचित जातियाँ (SC): वे समुदाय जो संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत अधिसूचित हैं और जिन्होंने ऐतिहासिक रूप से अस्पृश्यता तथा जाति-आधारित भेदभाव का सामना किया है। “अनुसूचित जाति” कानूनी श्रेणी है; कई समुदाय सामाजिक रूप से स्वयं को “दलित” के रूप में पहचानते हैं।

अनुसूचित जनजातियाँ (ST): वे समुदाय जो संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत सूचीबद्ध हैं और जिनका संबंध ऐतिहासिक रूप से सांस्कृतिक विशिष्टता, अपेक्षाकृत भौगोलिक अलगाव और सामाजिक-आर्थिक हाशियाकरण से रहा है। “आदिवासी” एक सामाजिक-सांस्कृतिक पहचान है, जबकि “अनुसूचित जनजाति” कानूनी श्रेणी है।

उच्च जाति: वे जाति समूह जिन्हें पारंपरिक जाति व्यवस्था में शीर्ष पर रखा गया (जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य)। इनका संबंध ऐतिहासिक रूप से धार्मिक शुद्धता, भूमि-स्वामित्व, शिक्षा और राजनीतिक प्रभाव से जोड़ा गया है।

हालाँकि सामान्य / अनारक्षित सीटें कानूनी रूप से सभी के लिए खुली हैं, फिर भी व्यवहार में वे प्रायः सामाजिक रूप से उच्च जातियों से जुड़ी मानी जाती हैं।

वार्ड सदस्य: ग्राम पंचायत के अंतर्गत किसी वार्ड का निर्वाचित प्रतिनिधि।

मुख्य निष्कर्ष

1) महिलाओं की राजनीतिक एजेंसी अभ्यास से बनती है; केवल पद मिल जाने से अपने-आप नहीं बनती

महिलाओं की राजनीतिक एजेंसी¹ अभ्यास और अनुभव से विकसित होती है; केवल निर्वाचित पद प्राप्त कर लेने से वह स्वतः नहीं बनती। वे अक्सर पंचायती राज संस्थाओं में प्रॉक्सी² व्यवस्थाओं, घरेलू बातचीत और मोलभाव, तथा परिवार या अन्य मध्यस्थों के माध्यम से प्रवेश करती हैं।

उनकी राजनीतिक पकड़ और निर्णायकारी भूमिका धीरे-धीरे विकसित होती है—प्रयास और सीख की प्रक्रिया के माध्यम से; प्रशासनिक प्रक्रियाओं को समझते हुए, बैठकों में भाग लेते हुए, अधिकारियों और नौकरशाही से काम करवाते हुए, तथा स्थानीय शासन की योजनाओं और बजट से जुड़ते हुए।

अर्थात् उनकी यात्रा में निर्णायक तत्व केवल औपचारिक पद नहीं, बल्कि रोजमर्रा के शासन का व्यावहारिक अनुभव है। यही अनुभव उन्हें प्रतीकात्मक उपस्थिति से आगे बढ़ाकर प्रक्रियात्मक अधिकार तक ले जाता है। प्रशिक्षण, सहकर्मी सीख और सामाजिक सहयोग इस प्रक्रिया को तेज करते हैं, क्योंकि ये मध्यस्थों पर निर्भरता कम करते हैं और रोजमर्रा के शासन में महिलाओं का आत्मविश्वास, समझ और कार्यक्षमता बढ़ाते हैं।

2) आरक्षण महिलाओं का प्रवेश बढ़ाता है, लेकिन ऊपर की राजनीतिक गतिशीलता स्वतः उत्पन्न नहीं करता

स्थानीय शासन में महिलाओं और कुछ जाति समूहों के लिए आरक्षित सीटों ने हाशिए पर स्थित महिलाओं की राजनीतिक पहुँच बढ़ाई है। किन्तु इससे जाति, वर्ग और रिश्तेदारी-आधारित सत्ता संरचनाएँ समाप्त नहीं हुईं, जो महिलाओं की राजनीतिक आकांक्षाओं को आकार भी देती हैं और सीमित भी करती हैं।

परिवार, रिश्तेदारी नेटवर्क या स्वयं सहायता समूह जैसे माध्यमों से पंचायती राज संस्थाओं में हुआ प्रवेश प्रायः स्थानीय स्तर से आगे बढ़कर दीर्घकालिक राजनीतिक यात्रा में परिवर्तित नहीं हो पाता। इसके पीछे आर्थिक व्यय, घरेलू जिम्मेदारियाँ, सीमित दलगत समर्थन, तथा उच्च राजनीतिक पदों तक पहुँच के कमजोर संस्थागत मार्ग प्रमुख बाधाएँ बने रहते हैं।

3) जाति महिलाओं की राजनीतिक स्वायत्तता को असमान रूप से आकार देती है, और कई बार यह अपेक्षाओं के विपरीत होता है

यह आम धारणा के विपरीत है कि सामाजिक रूप से आगे होना राजनीतिक रूप से अधिक स्वतंत्र होना भी सुनिश्चित करता है। कई मामलों में दलित और आदिवासी महिलाएँ अपनी उच्च जाति की समकक्षों की तुलना में अधिक प्रक्रियात्मक स्वायत्तता प्रदर्शित करती हैं।

ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि उनके पास राजनीतिक लामबंदी, सामूहिक संगठन और श्रम भागीदारी का अपेक्षाकृत अधिक अनुभव होता है। इससे वे दृढ़, मुखर और अभ्यास-आधारित नेतृत्व विकसित करती हैं। इसके विपरीत, कई उच्च जाति की महिलाएँ राजनीतिक पद पर होने के बावजूद घर और जाति के स्थापित मानदंडों को ही पुनरुत्पादित करती रहती हैं—वे निर्वाचित प्रतिनिधि होती हैं, परंतु निर्णय अक्सर अन्य लोग लेते हैं।

4) अधिकार जाति-प्रभावित नौकरशाही और सार्वजनिक क्षेत्रों में निरंतर संवाद और मोलभाव से निर्मित होता है

महिला प्रतिनिधियाँ ऐसी नौकरशाही व्यवस्था में कार्य करती हैं जहाँ पितृसत्तात्मक संरक्षणवाद, प्रक्रियात्मक अवरोध/ नियंत्रण तथा जाति-आधारित पदानुक्रम मौजूद रहते हैं। कई बार नागरिक भी उन्हें निर्णयकर्ता के बजाय कल्याण योजनाओं तक पहुँच दिलाने वाली मध्यस्थ के रूप में देखते हैं।

फिर भी, समय के साथ प्रशासनिक प्रक्रियाओं का अनुभव अर्जित कर और सामूहिक रणनीतियों का उपयोग करते हुए अनेक महिलाएँ रोजमर्रा के शासन में सीमित किंतु अर्थपूर्ण अधिकार स्थापित कर लेती हैं।

1 एजेंसी: अपनी स्थिति के भीतर निर्णय लेने, पहल करने और प्रभाव डालने की क्षमता

2 प्रॉक्सी: ऐसी स्थिति, जहाँ निर्वाचित महिला की जगह कोई और अक्सर पति या पुरुष रिश्तेदार अनौपचारिक रूप से निर्णय लेते हैं

5) पुरुष मध्यस्थता हमेशा दमनकारी नहीं होती; यह संबंधों पर आधारित और परिवर्तनशील प्रक्रिया है

पति और अन्य पुरुष रिश्तेदार कई बार महिलाओं की आवाजाही, नौकरशाही तक पहुँच और प्रारंभिक राजनीतिक वैधता स्थापित करने में सहायक होते हैं। यह समर्थन जाति और वर्ग के अनुसार भिन्न रूप लेता है। उच्च जाति परिवारों में इसे प्रायः सम्मान और सामाजिक प्रतिष्ठा के ढाँचे में देखा जाता है, जबकि दलित और आदिवासी परिवारों में इसे भेदभाव से निपटने के व्यावहारिक सहयोग के रूप में समझा जा सकता है।

कई महिलाओं के लिए प्रारंभिक निर्भरता समय के साथ साझा निर्णय-प्रक्रिया में परिवर्तित होती है और कुछ मामलों में अगे चलकर अधिक स्वायत्तता का मार्ग प्रशस्त करती है। सामूहिक मंचों और महिला नेटवर्क के माध्यम से मिलने वाला सहकर्मी सहयोग अलगाव को कम करने और सामूहिक सीख को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

परिचय

यह रिपोर्ट इस बात की पड़ताल करती है कि भारत की पंचायती राज संस्थाओं में निर्वाचित महिलाएँ अपने औपचारिक राजनीतिक प्रतिनिधित्व को वास्तविक और व्यावहारिक अधिकार में कैसे बदलती हैं, और यह परिवर्तन क्यों अक्सर असमान, बाधाओं से घिरा, बार-बार टूटने वाला और गैर-संचयी बना रहता है।

महाराष्ट्र और झारखंड में किए गए तुलनात्मक गुणात्मक शोध तथा नारीवादी राजनीतिक अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण के आधार पर यह अध्ययन राजनीतिक अधिकार को एक अभ्यास-आधारित प्रक्रिया के रूप में समझता है।

अध्ययन से स्पष्ट होता है कि संवैधानिक आरक्षण महिलाओं के निर्वाचित पदों तक पहुँच तो बढ़ाता है, लेकिन अधिकार अपने-आप नहीं बनता। अधिकार रोजमर्रा के शासन-कार्य में धीरे-धीरे निर्मित होता है, और कई बार उसी प्रक्रिया में सीमित भी कर दिया जाता है। यह निर्माण और अवरोध—दोनों—जाति, लिंग-आधारित सामाजिक मानदंडों, आवाजाही और सम्मान से जुड़े नियमों, पार्टी संगठन, पारिवारिक मध्यस्थता और नौकरशाही की विवेकाधीन शक्ति से प्रभावित होते हैं (Chattopadhyay and Duflo, 2004)।

यह रिपोर्ट यह भी दर्शाती है कि आरक्षण का अर्थ अपने-आप “सशक्त” महिला प्रतिनिधि तैयार हो जाना नहीं है। जिन सामाजिक परिस्थितियों में चेतना, क्षमता, अनुभव और सार्वजनिक जीवन का संपर्क अलग-अलग जाति समूहों में असमान रूप से वितरित है, वहाँ महिलाएँ स्थानीय लोकतांत्रिक राजनीति में अपने सामाजिक स्थान और उपलब्ध संसाधनों की सीमाओं के भीतर अपनी भूमिका गढ़ती हैं (George, 2025; Paik, 2021)। वे अपने सामाजिक स्थान और उपलब्ध संसाधनों के आधार पर अपने लिए वैधता, प्रभाव और काम करने की गुंजाइश बनाने की निरंतर कोशिश करती हैं।

इसलिए महिलाओं की राजनीतिक एजेंसी हमेशा पूर्ण स्वतंत्र निर्णय-क्षमता के रूप में दिखाई नहीं देती। कई बार यह इस बात में प्रकट होती है कि वे स्थानीय राजनीतिक प्रतिस्पर्धा और संस्थागत सीमाओं के बीच अपने लिए वैधता और कार्य-क्षेत्र कैसे निर्मित करती हैं।

महिलाओं की एजेंसी केवल व्यक्तिगत निर्णय लेने तक सीमित नहीं है। यह उन क्रमिक बदलावों में भी दिखाई देती है, जिन्हें वे स्थानीय राजनीतिक और सामाजिक ढाँचों के भीतर संभव बनाती हैं। दूसरे शब्दों में, महिलाएँ केवल व्यवस्था के भीतर जगह नहीं बनाती, बल्कि उसी व्यवस्था के लिंग-आधारित नियमों और व्यवहारों में परिवर्तन की प्रक्रिया भी आरंभ करती हैं (Harper et al., 2020)। इस पूरी प्रक्रिया में, हमारे शोध के अनुसार, जाति निर्णायक भूमिका निभाती है।

प्रतिनिधित्व अधिकार में क्यों नहीं बदला

भारत आरक्षण-आधारित राजनीतिक समावेशन के सबसे बड़े वैश्विक प्रयोगों में से एक है। आज पंचायती राज संस्थाओं में चौदह लाख से अधिक महिलाएँ निर्वाचित हैं, जिनमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग की बड़ी भागीदारी शामिल है (Government of India, Press Information Bureau, 2024)। फिर भी केवल प्रतिनिधित्व बढ़ जाने से यह स्वतः सुनिश्चित नहीं हुआ कि महिलाओं को:

- वास्तविक निर्णयकारी शक्ति मिले
- संस्थागत जवाबदेही मजबूत हो
- नेतृत्व के ऊँचे स्तरों तक पहुँचने के ठीकाँ रास्ते बनें

यह रिपोर्ट उस धारणा को चुनौती देती है कि केवल आरक्षण और अलग से चलाए जाने वाले क्षमता-विकास कार्यक्रम अपने-आप सार्थक राजनीतिक अधिकार उत्पन्न कर देंगे।

यह अध्ययन भागीदारी से आगे बढ़कर अधिकार को राजनीतिक परिणाम के रूप में देखता है। यह दर्शाता है कि अधिकार तभी विकसित होता है जब संस्थाएँ महिलाओं के जनादेश को मान्यता दें, उस पर प्रभावी कार्यवाही करें, और उन्हें केवल औपचारिक पदधारी नहीं बल्कि वास्तविक निर्णयकर्ता के रूप में स्वीकार करें।

प्रवेश तो मिला, पर आगे बढ़ना नहीं

आरक्षण महिलाओं के लिए निर्वाचित पदों तक पहुँच तो सुनिश्चित करता है, परंतु इससे स्थानीय शासन में अधिकार का वितरण अपने-आप पुनर्गठित नहीं होता। किसी महिला का जनादेश तभी सार्थक बनता है जब संस्थाएँ उस पर प्रतिक्रिया दें — जब नौकरशाही निर्देशों पर कार्रवाई करे, राजनीतिक दल उसके दावों को वैध मानें और नागरिक उसे केवल नाममात्र की पदाधिकारी नहीं, बल्कि वास्तविक निर्णयकर्ता के रूप में स्वीकार करें।

इसके समानांतर, लिंग और जाति से जुड़े सामाजिक मानदंड स्थानीय शासन के अनौपचारिक नियमों की तरह कार्य करते हैं। दोनों राज्यों में महिलाओं की अधिकार-क्षमता केवल औपचारिक नियमों से निर्धारित नहीं होती; यह इस बात से भी आकार लेती है कि वे जाति-नैतिक स्त्रीत्व, सम्मानजनकता और घरेलू प्राथमिकता से जुड़ी अपेक्षाओं के भीतर अपनी वैधता कैसे स्थापित करती हैं। अनेक निर्वाचित महिलाएँ घरेलू जिम्मेदारियाँ निभाते हुए, अपनी आवाजाही नियंत्रित करते हुए और पहनावे तथा भाषण शैली को सामाजिक मानकों के अनुरूप ढालते हुए पुरुष-प्रधान राजनीतिक क्षेत्रों में स्वीकृति अर्जित करती हैं (Ciotti, 2012; Harper et al., 2020; Paik, 2021)।

यह प्रकार का राजनीतिक प्रदर्शन उनकी निरंतर भागीदारी को संभव बना सकता है, किंतु इससे उनका अधिकार संस्थागत दक्षता की मान्यता पर नहीं, बल्कि सामाजिक अनुरूपता पर निर्भर हो जाता है।

जहाँ राजनीतिक दल प्रत्याशी चयन और चुनावी वित्त पर नियंत्रण रखते हैं, परिवार आवाजाही और सूचना के प्रवाह को नियंत्रित करता है, और अधिकारी प्रक्रियाओं तथा फाइलों पर विवेकाधीन नियंत्रण बनाए रखते हैं, वहाँ आरक्षण महिलाओं की भागीदारी तो बढ़ा सकता है। किंतु संसाधनों और सार्वजनिक मान्यता से जुड़े निर्णय अक्सर अन्य स्थानों पर लिए जाते हैं (Advisory Committee on Women Pradhans, 2025)।

दोनों राज्यों में एक आवर्ती पैटर्न उभरता है — प्रवेश तो मिलता है, पर आगे बढ़ने की गतिशीलता नहीं। अनेक महिलाएँ मध्यस्थ मार्गों से पद तक पहुँचती हैं और प्रक्रियात्मक दक्षता अपने कार्यकाल के अपेक्षाकृत अंतिम चरण में विकसित कर पाती हैं। किंतु पुनर्निर्वाचन और उच्चतर पदों पर अग्रसर होने के मार्ग संरचनात्मक अवरोधों से घिरे रहते हैं — जैसे रोटेशन आधारित आरक्षण, दलगत रोक-टोक, स्थानीय चुनावों की वित्तीय संरचना और प्रशासनिक क्षेत्रों में जाति-आधारित दंडात्मक अवरोध (Election Commission of India, 2024; George, 2025)।

इन परस्पर जुड़ी बाधाओं के कारण उनका राजनीतिक प्रशिक्षण बाधित हो जाता है और वे अर्जित अधिकार को एक कार्यकाल से दूसरे कार्यकाल तक निरंतर रूप से आगे नहीं बढ़ा पातीं।

परिणामस्वरूप, नेतृत्व का मार्ग प्रवेश स्तर पर तो विस्तृत प्रतीत होता है, किंतु सुदृढ़ीकरण के चरण में तीव्र रूप से संकरा हो जाता है। विशेष रूप से चुनावी वित्त की संरचना अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए असमान रूप से बड़ी बाधा सिद्ध होती है, जिससे उनके लिए पुनः प्रत्याशी बनने या आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों से आगे ऊर्ध्वगतिशीलता प्राप्त करने की संभावना सीमित हो जाती है।

प्रॉक्सी, जाति और संस्थागत मध्यस्थता

लिंग-आधारित सामाजिक मानदंड एकरूप नहीं होते; वे जाति के अनुसार बदलते हैं और उनके राजनीतिक प्रभाव भी अलग-अलग होते हैं। उच्च जाति और प्रभुत्वशाली ओबीसी परिवारों में महिलाओं की आवाजाही, सार्वजनिक उपस्थिति और “इज्जत/सम्मानजनकता” से जुड़ी अपेक्षाएँ अक्सर अधिक कड़ी होती हैं। ऐसे संदर्भों में प्रॉक्सी व्यवस्था अधिक स्थायी रूप ले सकती है, जहाँ पति, पुरुष रिश्तेदार या अन्य मध्यस्थ फाइलों, वित्त और राजनीतिक सौदेबाजी पर नियंत्रण बनाए रखते हैं (Ciotti, 2012; Paik, 2021)।

इसके विपरीत, अनेक एससी और एसटी महिलाओं के लिए मज़दूरी, सामूहिक संगठन और आंदोलन-आधारित राजनीति का अनुभव उनकी सार्वजनिक भागीदारी और आवाजाही का दायरा बढ़ाता है, जिससे स्थानीय शासन से अधिक सीधे जुड़ने के अवसर मिलते हैं। फिर भी प्रशासनिक दायरों में उन्हें प्रायः अधिक निगरानी, संदेह और जाति-आधारित अवरोधों का सामना करना पड़ता है (Arya and Rathore, 2020; George, 2025)।

प्रॉक्सी व्यवस्था को केवल “क्षमता की कमी” के रूप में समझना भ्रामक है। कई संदर्भों में यह जातिगत शक्ति-संबंधों, लिंग-आधारित अनुशासन और संस्थागत प्रतिक्रिया के संगम से बनती है। इस अर्थ में प्रॉक्सी कभी-कभी एक ऐसी संस्थागत स्थिरता पैदा करती है जिसमें कोटा/आरक्षण के नियम तो पूरे हो जाते हैं, किंतु संसाधनों, दलाली और प्रमुख राजनीतिक बातचीत पर वास्तविक नियंत्रण अन्य लोगों के पास बना रहता है (Ciotti, 2012; George, 2025)।

महाराष्ट्र में हाशिए की जाति से आने वाली एक निर्वाचित महिला प्रतिनिधि के अनुभव में यह स्पष्ट दिखता है कि अधिकार का अनौपचारिक प्रयोग किस प्रकार प्रभुत्वशाली सामाजिक समूहों की ओर खिसक जाता है:

“पुरुष सारपंच प्रभुत्वशाली समुदाय से थे। वे पढ़े-लिखे थे और संसाधनों तक उनकी पहुँच अधिक थी, इसलिए मैंने उन्हें पद संभालने दिया। मेरी इच्छा तो थी, लेकिन सबकुछ अपनी मर्जी से नहीं होता—सामूहिक निर्णयों के साथ चलना पड़ता है।”

कुछ एससी/एसटी परिवारों में जो बात बाहर से “प्रॉक्सी” जैसी दिखती है, वह कई बार घरेलू स्तर पर संसाधनों को साझा कर राजनीतिक भूमिका को बनाए रखने की रणनीति भी होती है—अर्थात् जाति और पितृसत्ता की सीमाओं के भीतर रहते हुए राजनीतिक एजेंसी को अधिकतम करने का प्रयास। इसलिए संरचनात्मक स्थितियों को बदले बिना केवल “प्रॉक्सी” को अवैध या अनैतिक ठहराना, महिलाओं के राजनीतिक हाशियाकरण को और गहरा कर सकता है (Advisory Committee on Women Pradhans, 2025)।

व्यवहार में अधिकार कैसे काम करता है

प्रॉक्सी और राजनीतिक एजेंसी को स्थिर या द्विआधारी श्रेणियों में नहीं समझा जा सकता। वे ऐतिहासिक रूप से निर्मित सत्ता-संबंधों के भीतर स्थितियाँ हैं। महिलाओं का राजनीतिक अधिकार केवल आरक्षण या सामाजिक पहचान से निर्धारित नहीं होता; यह इस बात से भी आकार लेता है कि जाति का संबंध श्रम व्यवस्थाओं, संसाधनों तक पहुँच और राज्य संस्थाओं की संरचना से किस प्रकार बनता है। औद्योगीकरण, काम के बदलते ढाँचे और सामाजिक-राजनीतिक लामबंदी के इतिहास जैसी प्रक्रियाएँ भी यह तय करती रहती हैं कि महिलाएँ व्यवहार में कितना अधिकार प्रयोग कर पाती हैं (George, 2025)।

इसी कारण, समान जातिगत पृष्ठभूमि से आने वाली महिलाएँ भी भिन्न स्थानीय राजनीतिक अर्थव्यवस्थाओं और संस्थागत परिस्थितियों में अलग-अलग राजनीतिक परिणाम अनुभव कर सकती हैं। जिन क्षेत्रों में संस्थागत घनत्व अधिक है या आर्थिक विकास का इतिहास लंबा रहा है, वहाँ भागीदारी और प्रतिनिधित्व में प्रगति दिखाई दे सकती है—परंतु यह प्रगति हर बार टिकाऊ निर्णयकारी शक्ति में रूपांतरित हो, यह आवश्यक नहीं।

इसलिए महिलाओं की राजनीतिक एजेंसी को केवल समावेशन या प्रशिक्षण का सीधा परिणाम मानकर नहीं समझा जा सकता। इसे अधिक सटीक रूप से एक संबंधपरक और संघर्षपूर्ण राजनीतिक प्रक्रिया के रूप में समझना चाहिए—जहाँ मान्यता, संसाधनों और राज्य प्रणालियों तक पहुँच को लेकर निरंतर स्वीचतान चलती रहती है (Ciotti, 2012; Harper et al., 2020; George, 2025)।

पद्धति और साक्ष्य

यह विश्लेषण महाराष्ट्र और झारखंड में किए गए गुणात्मक (क्वालिटेटिव) शोध पर आधारित है। अध्ययन में शामिल हैं:

- 88 जीवन-वृत्तांत साक्षात्कार (लाइफ-हिस्ट्री इंटरव्यू - एलएचआई) — पंचायती राज संस्थाओं के विभिन्न स्तरों पर वर्तमान एवं पूर्व निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के साथ
- 8 प्रमुख सूचनादाता साक्षात्कार (की-इन्फॉर्मंट इंटरव्यू - केआईआई) — नागरिक समाज से जुड़े व्यक्तियों और राज्य-स्तर की महिला नेताओं के साथ

जीवन-वृत्तांत पद्धति यह समझने में मदद करती है कि एक चुनावी कार्यकाल के दौरान राजनीतिक अधिकार कैसे बनता है, किन परिस्थितियों में उसे चुनौती मिलती है, कब वह सुदृढ़ होता है, और कभी-कभी कैसे सीमित कर दिया जाता है या पीछे खिसक जाता है।

ये जीवन-वृत्तांत साक्षात्कार केवल यह नहीं दिखाते कि महिलाएँ अधिकार का प्रयोग करती हैं या नहीं। वे यह भी स्पष्ट करते हैं कि रोजमर्रा के शासन-कार्य में किन स्तरों पर, किन प्रक्रियाओं के माध्यम से, और संस्थाओं व प्रशासन के साथ किन संपर्क-बिंदुओं पर महिलाओं का अधिकार सक्षम होता है या सीमित किया जाता है।

महाराष्ट्र और झारखंड क्यों: राजनीतिक संदर्भ अधिकार का मध्यस्थ कैसे बनता है

महाराष्ट्र और झारखंड तुलनात्मक विश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण और विश्लेषणात्मक रूप से शिक्षाप्रद भिन्नताएँ प्रस्तुत करते हैं। महाराष्ट्र में पंचायती राज संस्थाओं के अपेक्षाकृत लंबे संचालन का इतिहास, अधिक संस्थागत रूप ले चुकी दलगत प्रतिस्पर्धा, और गहराई से जमी हुई जातिगत पदानुक्रमिक संरचनाएँ दिखाई देती हैं—जिन पर प्रभुत्वशाली जातियों की सत्ता और आंबेडकरवादी राजनीतिक परंपराओं, दोनों का प्रभाव रहा है।

इसके विपरीत, झारखंड की विशेषता अपेक्षाकृत नया राज्य तंत्र, आदिवासी दावों और आंदोलनों का सशक्त इतिहास (जिसमें निर्णय-प्रक्रियाओं पर स्थानीय स्वायत्तता की मांग भी शामिल रही है), स्थानीय स्तर पर अपेक्षाकृत कम संस्थागत दलगत संरचना, और भूमि, जंगल तथा जल के प्रश्नों से जुड़ी आंदोलन-आधारित राजनीति की निरंतर उपस्थिति है (Paik, 2021)।

यह अध्ययन महाराष्ट्र और झारखंड की तुलना किसी राज्य को “बेहतर” या “कमज़ोर” सिद्ध करने के लिए नहीं करता। बल्कि यह दर्शाता है कि समान आरक्षण नियम, जब भिन्न राजनीतिक संदर्भों, जातिगत विन्यासों और नौकरशाही प्रक्रियाओं से होकर गुजरते हैं, तो वे राजनीतिक अधिकार तक पहुँचने के अलग-अलग मार्ग और नेतृत्व पर अलग-अलग संरचनात्मक सीमाएँ उत्पन्न करते हैं।

विस्तृत शोध-निष्कर्ष

प्रवेश के रास्ते: मध्यस्थित समावेशन और जाति-आधारित भिन्न राजनीतिक यात्राएँ

दोनों राज्यों में महिलाओं का पंचायती राज संस्थाओं की राजनीति में प्रवेश प्रायः शुरुआत से “स्वतंत्र राजनीतिक महत्वाकांक्षा” के रूप में सामने नहीं आता। उम्मीदवार बनना अक्सर घरेलू बातचीत/मोलभाव, जातिगत अपेक्षाओं, पार्टी-स्तरीय गणनाओं और/या आंदोलन से जुड़ाव के माध्यम से तय होता है। आरक्षण प्रवेश का रास्ता तो खोलता है, लेकिन यह अपने-आप यह तय नहीं करता कि आगे महिलाओं की भागीदारी किन शर्तों पर होगी, निर्वाचित होने के बाद वे कितना नियंत्रण स्थापित कर पाएँगी, या वे अपने अधिकार को कितनी जल्दी सुदृढ़ कर पाएँगी।

प्रॉक्सी व्यवस्थाएँ न तो एक जैसी होती हैं और न स्थिर रहती हैं। कुछ संदर्भों में पुरुष रिश्तेदार शुरुआती दौर में महिलाओं की आवाजाही, कागजी काम या अधिकारियों से बातचीत संभालते हैं—जिससे कई बार एक तरह की अनौपचारिक राजनीतिक सीख/प्रशिक्षण-प्रक्रिया विकसित होती है। लेकिन अन्य संदर्भों में यही प्रॉक्सी व्यवस्था एक टिकाऊ ढाँचा बन जाती है, जो आधिकारिक कोटा/आरक्षण लागू रहने के बावजूद महिलाओं की आवाज, सार्वजनिक पहचान और निर्णयकारी भूमिका को सीमित करती रहती है। प्रॉक्सी व्यवस्था समय के साथ ढीली पड़ेगी या बनी रहेगी—यह स्थानीय स्तर पर राजनीतिक वित्तका बँटवारा, प्रतिष्ठा से जुड़ा जोखिम, पार्टी संरक्षण और प्रशासनिक सेक-टोक जैसे कारकों पर निर्भर करता है।

इन राजनीतिक यात्राओं को जाति गहराई से प्रभावित करती है। हमारे साक्षात्कारों में जाति बार-बार एक संरचनात्मक कारक के रूप में सामने आई—सिर्फ पद तक पहुँच के स्तर पर नहीं, बल्कि निर्वाचित प्रतिनिधि बनने के बाद रोज़मर्रा के व्यवहार, निगरानी और अवरोधों के अनुभव में भी। महाराष्ट्र के धनोरा से एक प्रतिभागी ने कहा:

“हाँ, जातिगत भेदभाव था। उन्हें लगता है कि अगर ST समुदाय आगे बढ़ेगा, तो उन्हें चुनौती मिलेगी; इसलिए वे जातिगत पक्षपात के ज़रिए बाधाएँ पैदा करते हैं।”

दलित और आदिवासी महिलाएँ जब अधिकार जताने की कोशिश करती हैं, तो उन्हें अक्सर अधिक निगरानी, संदेह और अवरोध झेलने पड़ते हैं। इसके विपरीत, उच्च जाति की महिलाओं को कई बार खुला विरोध कम दिखाई देता है, लेकिन वे सामाजिक रूप से “सामान्य” मानी जाने वाली प्रॉक्सी व्यवस्थाओं में फँसी रह सकती हैं—जो कम दिखती हैं, पर नियंत्रण गहरा बनाए रखती हैं। ये भिन्नताएँ प्रवेश की शर्तों को भी आकार देती हैं और यह भी तय करती हैं कि महिलाएँ प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व सेमान्यता-प्राप्त नेतृत्वक व्यावहारिक रूप से पहुँच पाएँगी या नहीं।

अधिकार कैसे बनता है: सार्वजनिक अनुभव, प्रक्रियात्मक दक्षता और संस्थागत मान्यता

राजनीतिक अधिकार केवल चुनाव जीतने से नहीं मिलता; वह रोजमर्रा के शासन-कार्य के दौरान बनता है (Chattopadhyay and Duflo, 2004)। महिलाएँ अपना निर्णायक दायरा धीरे-धीरे बढ़ाती हैं—प्रक्रियाओं में दक्षता, अधिकारियों से बार-बार और रणनीतिक संवाद, बैठकों पर विश्वसनीय पकड़, फंड प्रबंधन, और नागरिकों के साथ लगातार संपर्क के माध्यम से। और उनका अधिकार तब सुदृढ़ होता है जब संस्थाएँ रोजमर्रा की कार्यवाही में उनके निर्देशों को बाध्यकारी/गंभीर मानने लगती हैं।

अध्ययन का एक सुसंगत निष्कर्ष यह है कि अधिकार कई बार मध्य स्थित रूप और सार्वजनिक रूप से मान्यता-प्राप्तरूप के बीच आ-जा सकता है। यह इस पर निर्भर करता है कि महिलाएँ प्रक्रियागत दक्षता हासिल कर पाती हैं या नहीं, और पार्टी व प्रशासनिक तंत्र व्यवहार में उनकी भूमिका को स्वीकार करते हैं या नहीं। झारखंड की एक निर्वाचित महिला प्रतिनिधि ने बताया:

“उस समय हम नए थे, इसलिए अधिकारियों से डर लगता था। बोलने का मन होता था, लेकिन हिम्मत नहीं होती थी। अगर ज़्यादा बोलते, तो उल्टा दबाव पड़ सकता था।”

जहाँ विवेकाधीन रुकावटें और अनौपचारिक मध्यस्थता बनी रहती हैं, वहाँ नाम और पद बने रहने के बावजूद अधिकार ठहर सकता है, कमजोर पड़ सकता है, या पीछे भी जा सकता है।

ऐसे संदर्भों में सामूहिक ढाँचे—जैसे स्वयं सहायता समूह, सामूहिक नेटवर्क, आंदोलनकारी नेटवर्क और सहकर्मी समूह—अक्सर समानांतर राजनीतिक सीखने की प्रणालियों की तरह काम करते हैं। ये महिलाओं में आत्मविश्वास और विश्वसनीयता बनाते हैं, सामूहिक समर्थन देते हैं, और वह अनुभव-आधारित राजनीतिक सीख संभव करते हैं जो सामान्यतः अल्प-अवधि प्रशिक्षणों से पैदा नहीं होती—जैसे टकराव से निपटना, फाइल-कार्य का रास्ता समझना, और माँगों/दबावों का समन्वय करना।

परिवार, पार्टी और नौकरशाही: अधिकार बाँटने वाले क्षेत्र और रोजमर्रा के जोखिम

पंचायती राज संस्थाओं के भीतर अधिकार परिवार, राजनीतिक दलों और नौकरशाही के बीच होने वाली परस्पर क्रिया से बनता है। इन स्थलों पर तीन आपस में जुड़ी बाधाएँ बार-बार सामने आती हैं:

- रोजमर्रा की प्रशासनिक प्रक्रियाओं तक पहुँच
- उम्मीदवारी और पुनः-प्रतिस्पर्धा के वित्तपर नियंत्रण
- क्या पार्टी और नौकरशाही महिला प्रतिनिधियों के अधिकार को रोजमर्रा के व्यवहार/कामकाज में वैध मानते हैं या नहीं

परिवार-स्तरीय मध्यस्थता कई बार महिलाओं को इन बाधाओं से निपटने में सक्षम बनाकर प्रवेश और वैधता दिलाती है; लेकिन अन्य स्थितियों में वही मध्यस्थता व्यवहार को अनुशासित करती है और आवाजाही व सूचना तक पहुँच को सीमित कर देती है।

राजनीतिक दल संगठनात्मक समर्थन दे सकते हैं और प्रशासनिक उत्पीड़न/दबाव से कुछ सुरक्षा भी प्रदान कर सकते हैं। लेकिन वे टिकट आवंटन, वित्तीय फैसलों और नेतृत्व की वैधता पर लिंग-आधारित आकलनों के जरिए महिलाओं के लिए “सीलिंग” भी तय करते हैं। महाराष्ट्र की एक निर्वाचित महिला प्रतिनिधि ने कहा:

“किसी भी पार्टी में जाइए, अगर महिला आरक्षण है तो टिकट अपने ही परिवार की महिलाओं को देते हैं। बाहर की महिला कार्यकर्ताओं को पहचानते ही नहीं।”

नौकरशाही यह तय करने में अहम भूमिका निभाती है कि महिलाओं का अधिकार रोजमर्रा के काम में टिकेगा या कमजोर होगा। यह कई रूपों में सामने आता है—असहयोग, प्रक्रियागत टालमटोल, चयनात्मक जाँच, और प्रतिष्ठा पर हमले। कई मामलों में ये तटस्थ जवाबदेही की बजाय जाति-आधारित दंड/रोक-टोक की तरह काम करते हैं।

अध्ययन में वित्तीय प्रबंधन एक खास “उच्च-जोखिम” क्षेत्र के रूप में उभरता है, जहाँ अधिकार की असली परीक्षा और टकराव होता है। जो महिलाएँ पारदर्शिता या सही

प्रक्रियाओं पर जोर देती हैं, उन पर दबाव डाला जा सकता है कि एक अतिरिक्त बाधा नागरिक-राज्य संबंध की मध्य स्थित प्रकृति है। कई नागरिक महिला प्रतिनिधियों के पास कल्याण-योजनाओं, कागजी काम और सहायता तक पहुँच के लिए आते हैं, और “डिलीवरी” की अपेक्षा रखते हैं—जबकि निर्णय-शक्ति अक्सर मध्यस्थों में केंद्रित रहती है। यह मध्यस्थ-सेतु राजनीति शासन-योग्य दृश्यता को बढ़ा सकती है: महिलाएँ जनता की माँगों और आरोप/दोष अपने ऊपर लेती हैं, जबकि फंड, फ़ाइल और मंजूरीयों पर वास्तविक अधिकार कहीं और होता है।

समय और क्रम: सीख देर से क्यों सुदृढ़ होती है और अक्सर जमा क्यों नहीं हो पाती

अधिकार का विकास सीधी रेखा में नहीं होता; यह गैर-रैखिक और समय-संवेदी प्रक्रिया है। कार्यकाल की शुरुआत अक्सर सीमित आवाजाही, प्रक्रियागत ज्ञान की कमी और मध्यस्थों पर निर्भरता से चिह्नित होती है। आत्मविश्वास और प्रशासनिक परिचय बैठकों, बजट-चक्रों, फ़ाइल-कार्य और नौकरशाही संपर्क-बिंदुओं के साथ बार-बार की सहभागिता से विकसित होता है—लेकिन यह सीख अक्सर कार्यकाल के अंतिम हिस्से में जाकर सुदृढ़ होती है। इस सीख का संचय तब बाधित हो जाता है जब पुनर्निर्वाचन संरचनात्मक रूप से बंद हो (जैसे रोटेशन-आधारित आरक्षण के कारण) या राजनीतिक रूप से पार्टी-स्तरीय रोक-टोक के चलते सीमित हो। नतीजतन, अधिकार का विकास कई बार अधूरा/कटा हुआ रह जाता है।

एजेंसी (निर्णय-स्वायत्तता)की सीमाएँ/निर्णय लेने और कार्य करने की सीमाएँ

कई महिलाएँ पुनः चुनाव लड़ने की इच्छा व्यक्त करती हैं, और कुछ मामलों में पंचायत समिति या ज़िला परिषद जैसी भूमिकाओं तक आगे बढ़ने की आकांक्षा भी रखती हैं। लेकिन ये आकांक्षाएँ अक्सर धन, आवाजाही संबंधी बाधाओं, जातिगत असमानताओं और लिंग-आधारित अपेक्षाओं के कड़े दायरों में खुलती हैं। महाराष्ट्र की एक निर्वाचित महिला प्रतिनिधि ने कहा:

“अगर मुझे फिर से सदस्य पद के लिए खड़ा किया गया, तो मैं सदस्य का चुनाव लड़ूंगी; लेकिन सरपंच का नहीं। सरपंच बनने में बहुत खर्च लगता है।”

कार्यकाल के दौरान प्रक्रियागत दक्षता और आत्मविश्वास विकसित होने के बावजूद बहुत कम महिलाएँ सीट अनारक्षित होने के बाद पद पर बनी रह पाती हैं या ऊपर बढ़ पाती हैं। दूसरा कार्यकाल अक्सर आरक्षण जारी रहने पर निर्भर करता है; जबकि अनारक्षित सीटों पर प्रतिस्पर्धा या पंचायती राज संस्थाओं के उच्च स्तरों तक बढ़ना अपेक्षाकृत दुर्लभ रहता है।

ज़िला-स्तर से आगे महिलाओं की प्रगति अपवाद की तरह दिखती है और अक्सर उसके लिए राजनीतिक पारिवारिक पृष्ठभूमि, प्रभावशाली मार्गदर्शन, या असाधारण रूप से मजबूत संरक्षण नेटवर्क की आवश्यकता होती है। जीवन-वृत्तांतों में “दोहराव वाले कार्यकाल” अपवाद ही हैं; और रोटेशन तथा पार्टी-नियंत्रण कई बार महिलाओं की दक्षता सुदृढ़ हो जाने के बाद भी पुनः प्रतिस्पर्धा को सीमित कर देते हैं।

इस तरह रोटेशन कई बार एकक्षरण-तंत्र की तरह काम करता है: दक्षता तब तक बनती है जब तक पुनः प्रतिस्पर्धा कठिन या असंभव हो जाती है—और इससे एक “एक-कार्यकाल जाल” बनता है जो राजनीतिक सीख, निरंतरता और संचयी नेतृत्व को कमजोर करता है (George et al., 2020)। स्थानीय राजनीति से बाहर होना कई बार रुचि/क्षमता की कमी नहीं, बल्कि संरचित बहिष्करण और संस्थागत थकान का परिणाम होता है।

फिर भी, औपचारिक पद समाप्त होने के बाद महिलाओं की राजनीतिक ऊर्जा हमेशा समाप्त नहीं होती। दोनों राज्यों में कई महिलाएँ नेतृत्व को “ऊर्ध्व” दिशा में आगे बढ़ाने के बजाय “क्षैतिज” रूप से सामाजिक कार्य, सामूहिक संगठन, स्वयं सहायता समूह महासंघों, या अन्य निर्वाचित महिलाओं के मार्गदर्शन में मोड़ देती हैं। इस तरह, जब ऊर्ध्व प्रगति रुक जाती है तब भी वे नागरिक जीवन में प्रभाव/अधिकार बनाए रखती हैं।

निष्कर्षात्मक टिप्पणियाँ

स्थानीय शासन में महिलाओं का नेतृत्व कोई ऐसी तकनीकी कमी नहीं है जिसे केवल प्रशिक्षण से दूर किया जा सके। यह मूलतः एक राजनीतिक प्रक्रिया है, जिसे जातिगत पदानुक्रम, दलगत संरचनाएँ, पारिवारिक मध्यस्थता और नौकरशाही की विवेकाधीन शक्ति निरंतर आकार देती हैं। सीटों का आरक्षण महिलाओं के लिए इस राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश का मार्ग अवश्य खोलता है, पर वह अपने-आप इस व्यवस्था की गहरी असमानताओं को समाप्त नहीं करता।

जब तक उन संस्थागत परिस्थितियों से प्रत्यक्ष रूप से नहीं जुड़ा जाता, जिनके भीतर अधिकार रोज़मर्रा के शासन में निर्मित या अवरुद्ध होता है, तब तक सशक्तिकरण के प्रयास महिलाओं की दृश्य उपस्थिति तो बढ़ा सकते हैं, पर सत्ता-संबंधों की मूल संरचना को अप्रभावित छोड़ देंगे। इसमें वे दैनिक प्रशासनिक प्रक्रियाएँ केंद्रीय हैं—फ़ाइल-प्रबंधन, वित्तीय निर्णय, स्वीकृतियाँ, बैठकों की कार्यवाही और नौकरशाही का व्यवहार—जिन पर अधिकार वास्तव में टिकता है।

इसलिए लोकतंत्र की गहराई केवल इस प्रश्न से निर्धारित नहीं होती कि पद पर कौन है, बल्कि इस बात से भी कि क्या शासन-तंत्र हाशिए की महिलाओं को अपनी उपस्थिति कोटिकाऊ और मान्यता-प्राप्त राजनीतिक अधिकारों में रूपांतरित करने की वास्तविक संस्थागत संभावना प्रदान करता है।

नीतिगत निहितार्थ

1) राज्य सरकारों के लिए

(क) “एक-कार्यकाल जाल (वन-टर्म ट्रैप)” कम करें और नेतृत्व की निरंतरता मज़बूत करें

कई बार महिला प्रतिनिधि जब तक पंचायत/पंचायती राज संस्थाओं के कामकाज को ठीक से समझ पाती हैं—जैसे फाइल किस स्तर पर जाती है, स्वीकृति की प्रक्रिया क्या है, बजट और योजनाओं की प्राथमिकता कैसे तय होती है, बैठकों में निर्णय कैसे लिए जाते हैं—तब तक कार्यकाल समाप्त हो जाता है। रोटेशन या टिकट-निर्णयों के कारण वही प्रतिनिधि दोबारा अवसर नहीं पा पाती, और अगली प्रतिनिधि को वही प्रक्रियाएँ फिर से शुरू से सीखनी पड़ती हैं।

इससे शासन-व्यवस्था में अनुभव, प्रक्रियागत समझ और संपर्क-सम्बंधस्थायी रूप से नहीं बन पाते—यही स्थिति “एक-कार्यकाल जाल (वन-टर्म ट्रैप)” को जन्म देती है।

इस समस्या को कम करने के लिए—

- जहाँ संभव हो, रोटेशन-आधारित आरक्षण (रोटेशनल रिज़र्वेशन) में ऐसे सुधार किए जाएँ जो नेतृत्व की निरंतरता को सहारा दें।
- जहाँ रोटेशन बना रहे, वहाँ निरंतरता बनाए रखने की स्पष्ट संस्थागत व्यवस्थाएँ विकसित की जाएँ, ताकि एक कार्यकाल में अर्जित सीख और नेटवर्क समाप्त न हों।

राज्य स्तर पर इसके लिए निम्न उपाय उपयोगी हो सकते हैं—

- चुनावी चक्रों के पारस्थायी सहकर्मि समूह (पीयर कोहॉर्ट्स)
- पूर्व प्रतिनिधियों के नेटवर्क (एलुमनाई नेटवर्क्स)
- कार्यभार सौंपने की लिखित एवं मानकीकृत प्रक्रिया (हैंडओवर प्रोटोकॉल्स)
- अनुभवीपूर्व निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों को सलाहकार/समिति भूमिकाओं में औपचारिक मान्यता

इन उपायों का उद्देश्य यह है कि एक कार्यकाल में विकसित राजनीतिक अनुभव, प्रक्रियागत समझ और स्थानीय संबंध अगले चक्र में भी उपयोगी बने रहें।

(ख) नेतृत्व की निरंतरता को शासन-व्यवस्था की बुनियादी आवश्यकता माना जाए

नेतृत्व की निरंतरता को केवल “व्यक्ति की क्षमता” या “अच्छे उम्मीदवार” का प्रश्न मानना पर्याप्त नहीं है। इसे शासन-व्यवस्था की बुनियादी आवश्यकता के रूप में समझने की जरूरत है। पंचायती राज संस्थाओं की कार्य प्रणाली इस प्रकार विकसित की जाए कि—

- संस्थागत कामकाज की समझ हर बार टूटे नहीं, बल्कि आगे बढ़े
- प्रशासनिक प्रक्रियाओं की जानकारी समय के साथ मजबूत होती जाए
- महिला प्रतिनिधियों में प्रक्रियागत आत्मविश्वास टिके और बढ़े

अर्थात्, व्यवस्था ऐसी हो कि हर नया कार्यकाल प्रतिनिधियों को बार-बार शुरुआती स्तर पर वापस न पहुँचा दे।

(ग) वित्तीय निर्णय-प्रक्रिया में महिलाओं के अधिकार की रक्षा की जाए

स्थानीय शासन में वित्तीय निर्णय—जैसे बिल पास करना, भुगतान करना, ठेकों से जुड़ी स्वीकृतियाँ, और योजनाओं की मंजूरी—अक्सर वह क्षेत्र होते हैं जहाँ महिला प्रतिनिधियों पर सबसे अधिक दबाव बनाया जाता है। कई संदर्भों में उनसे केवल हस्ताक्षर करने की अपेक्षा की जाती है, या प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए दबाव/मिलीभगत की स्थितियाँ बनती हैं।

इसलिए—

- बिल/ठेका/भुगतान से जुड़े निर्णयों में पारदर्शी कार्य-प्रवाह सुनिश्चित किए जाएँ
- नियमित लेखा-परीक्षण (ऑडिट) की व्यवस्था मजबूत हो
- प्रक्रियागत हेरफेर पर लागू करने योग्य जवाबदेही तय हो
- और नियमों के अनुरूप निर्णय लेने पर महिला प्रतिनिधियों को संस्थागत संरक्षण मिले

2) ज़िला/ब्लॉक प्रशासन और लाइन विभागों के लिए

(क) जाति-आधारित राजनीतिक अवरोध को संरचनात्मक शासन-जोखिम माना जाए

जाति के आधार पर सहयोग न करना, कार्यवाही रोकना, बैठकों में अपमान करना, या फाइलों को जानबूझकर दबाकर रखना—ऐसी स्थितियाँ केवल “स्थानीय राजनीति” नहीं हैं। वे निर्वाचित प्रतिनिधियों की कार्य-क्षमता को बाधित करती हैं और शासन के दैनिक संचालन को प्रभावित करती हैं। इसलिए इन्हें संरचनात्मक शासन-जोखिम (सिस्टेमिक गवर्नेंस रिस्क) के रूप में स्वीकार कर ज़िला/ब्लॉक स्तर पर स्पष्ट सुरक्षा और जवाबदेही तंत्र विकसित किए जाने चाहिए।

(ख) निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ नौकरशाही समन्वय को मानकीकृत किया जाए

समस्याएँ तब बढ़ती हैं जब कामकाज पूरी तरह विवेकाधीन हो जाता है—कभी सूचना मिलती है, कभी नहीं; कभी फाइल आगे बढ़ती है, कभी अनिश्चित रूप से रुक जाती है; बैठकें नियमित नहीं होतीं। ऐसे ढाँचे में महिला प्रतिनिधियों की प्रक्रियागत पहुँच कमजोर होती है।

इसलिए लिखित प्रोटोकॉल बनाकर यह स्पष्ट किया जाए कि—

- बैठकों का आयोजन कैसे होगा और सूचना कब दी जाएगी
- फाइल की आवाजाही की जिम्मेदारी किसकी होगी और समय-सीमा क्या होगी
- सूचना-साझाकरण के मानक क्या होंगे
- उत्तर देने की समय-सीमाएँ क्या होंगी
- असहयोग/देरी की स्थिति में स्तर वार शिकायत/कार्रवाई की स्पष्ट प्रक्रिया क्या होगी (यानी शिकायत किस कार्यालय/अधिकारी तक, किस क्रम में जाएगी और कितने समय में जवाब/कार्रवाई होगी)

(ग) कार्यकाल के शुरुआती चरण में मेंटैरिंग को वास्तविक शासन-कार्य से जोड़ा जाए

कार्यकाल की शुरुआत में बजट, ग्राम सभा, फाइल-कार्य और पोर्टल जैसे विषय सबसे अधिक कठिन होते हैं। इसलिए केवल कक्षा-आधारित प्रशिक्षण के बजाय शुरुआती महीनों में मार्गदर्शित मेंटैरिंग को वास्तविक काम से जोड़ते हुए यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रतिनिधियों को—

- बजट प्रक्रिया और वित्तीय निर्णयों की समझ
- ग्राम सभा की तैयारी, संचालन और कार्यवाही
- फाइल-प्रक्रिया, अनुमोदन और फाइल की आवाजाही
- पोर्टल/डिजिटल प्रणालियों का व्यावहारिक उपयोग इन सभी पर “काम करते हुए” सीखने का अवसर मिले।

(घ) जाति-आधारित अवरोध को संस्थागत जवाबदेही की विफलता मानकर कार्रवाई-तंत्र मजबूत किए जाएँ

जाति-आधारित अवरोधों को केवल व्यक्तिगत टकराव मानकर छोड़ना पर्याप्त नहीं है। उन्हें संस्थागत जवाबदेही की विफलता मानते हुए स्पष्टीकायत-समीक्षा-निवारणतंत्र विकसित किए जाएँ। विशेषकर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (एससी/एसटी) वर्ग की निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के लिए यह व्यवस्था—

- स्पष्ट
- सुलभ
- समयबद्ध
- और वास्तविक रूप से लागू होने योग्य होनी चाहिए, ताकि प्रक्रियागत देरी, डराने-धमकाने और भेदभावपूर्ण असहयोग पर प्रभावी कार्रवाई संभव हो।

3) राजनीतिक दलों के लिए

(क) टिकट-वितरण और चुनावी वित्त में रोक-टोक (गेटकीपिंग) कम की जाए

कई महिलाएँ कार्यकाल के दौरान कामकाज सीखती हैं और स्थानीय पहचान बनाती हैं, फिर भी टिकट आवंटन या चुनावी संसाधनों की कमी के कारण वे दोबारा चुनाव नहीं लड़ पातीं। इससे नेतृत्व का विकास रुकता है और मध्यस्थों पर निर्भरता बनी रहती है। इसलिए—

- टिकट-वितरण की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और पूर्वानुमेय हो
- चुनावी वित्त/समर्थन के नियम स्पष्ट हों
- और महिलाओं को आरक्षित सीटों के बाहर भी आगे बढ़ने के अवसर मिलें

(ख) वंश/संरक्षण आधारित पक्षपात सीमित किया जाए

स्थानीय राजनीति में कई बार अवसर उन महिलाओं को अधिक मिलता है जो स्थापित राजनीतिक परिवारों से जुड़ी हों। इससे राजनीतिक पृष्ठभूमि न रखने वाली सक्षम महिलाएँ—विशेषकर एससी/एसटी पृष्ठभूमि की—पीछे रह जाती हैं। अतः दल यह सुनिश्चित करें कि—

- परिवार/वंश के आधार पर टिकट देने की प्रवृत्ति सीमित हो
- राजनीतिक पृष्ठभूमि न रखने वाली महिलाओं के लिए भी वास्तविक अवसर बनें
- और चयन प्रक्रिया में सामाजिक असमानताओं को दोहराने वाले पैटर्न पर नियंत्रण हो

(ग) धन-निर्भर और बिचौलिया-चालित चुनावी ढाँचे पर संस्थागत पहल की जाए

जहाँ पैसा और बिचौलिया नेटवर्क राजनीतिक आगे बढ़ने का मुख्य आधार बन जाते हैं, वहाँ आरक्षण कई बार नेतृत्व-विकास की सीढ़ी बनने के बजाय सीमित अवसर तक सिमट जाता है—खासकर उन्मुख/एसटी महिलाओं के लिए जिनके पास संरक्षण नेटवर्क कमजोर होते हैं। इसलिए दलों को चुनावी वित्त और बिचौलिया-आधारित नियंत्रण की संरचनाओं को चुनौती देने हेतु ठोस, संस्थागत पहल करनी चाहिए।

4) दाताओं और नागरिक समाज संगठनों के लिए

(क) प्रोजेक्ट-आधारित प्रशिक्षण से आगे बढ़कर दीर्घकालिक साथ (मल्टी-ईयर अकम्पनिमेंट) दिया जाए

अल्पकालिक प्रशिक्षण से क्षमता सीमित स्तर तक ही बढ़ती है। वास्तविक चुनौतियाँ बजट, भुगतान, स्वीकृति, दबाव, और चुनावी संक्रमण के समय सामने आती हैं। इसलिए सहयोग “ट्रेनिंग इवेंट” तक सीमित न रहे, बल्कि कई वर्षों तक निरंतर और वास्तविक काम के साथ जुड़ा रहे—यानी दीर्घकालिक साथ।

(ख) सामूहिक ढाँचों में निवेश किया जाए

सहकर्मी समर्थन और सामूहिक नेटवर्क राजनीतिक आत्मविश्वास, सार्वजनिक वैधता और सामूहिक सौदेबाजी की क्षमता बढ़ाते हैं। इसलिए—

- सहकर्मी नेटवर्क
- स्वयं सहायता समूहों के महासंघ
- आंदोलन-सम्बद्ध/समर्थित नेटवर्क इनमें निवेश और संस्थागत समर्थन बढ़ाया जाना चाहिए।

(ग) संस्थानों के साथ काम किया जाए, केवल समानांतर संरचनाएँ खड़ी न की जाएँ

यदि फाइल, बैठक, अनुमोदन और फंड की प्रक्रियाओं जैसे संस्थागत स्थलों पर हस्तक्षेप नहीं होता, तो मूल रोक-टोक और गेटकीपिंग बनी रहती है। इसलिए हस्तक्षेपों का केंद्र उन प्रक्रियाओं पर होना चाहिए जहाँ अधिकार वास्तव में निर्धारित होता है।

नीति/कार्यक्रम के लिए व्यावहारिक डिज़ाइन सिद्धांत

1) सीख को रोज़मर्रा की शासन-प्रक्रियाओं में जोड़ा जाए

अलग-थलग कार्यशालाओं के बजाय फाइल, बजट, बैठक और प्रशासनिक प्रक्रियाओं के साथ “करते हुए सीखने” (हैंड्स-ऑन) को प्राथमिकता दी जाए। अधिकार और आत्मविश्वास नियमित निर्णय-प्रक्रियाओं में भागीदारी से विकसित होता है।

2) चुनावी चक्रों के पार अनुभव सुरक्षित रखने की व्यवस्था बनाई जाए

औपचारिक हैंडओवर, पूर्व प्रतिनिधि नेटवर्क, सहकर्मी समूह और मेंटरिंग जैसी व्यवस्थाएँ विकसित हों, ताकि कार्यकाल बदलने पर अनुभव, प्रक्रियागत समझ और संपर्क-संबंध नष्ट न हों, बल्कि अगले कार्यकाल में भी उपयोगी बने रहें।

3) प्रॉक्सी व्यवस्था को टिकाने वाली निर्भरता घटाई जाए

यदि निर्वाचित महिलाओं के पास समय पर जानकारी, फाइलों तक सीधी पहुँच, वित्तीय रिकॉर्ड देखने की सुविधा, और स्पष्ट जिम्मेदारियाँ नहीं होतीं, तो मध्यस्थ/प्रॉक्सी संरचनाएँ मजबूत हो जाती हैं। इसलिए महिलाओं की इन संसाधनों और प्रक्रियागत अधिकारों तक सीधी, भरोसेमंद और समयबद्ध पहुँच सुनिश्चित की जाए।

4) आवाजही, समय और सुरक्षा को शासन-तंत्र की आवश्यक शर्त माना जाए

आवागमन/लॉजिस्टिक सहायता, बैठकों का पूर्वानुमेय समय, समय-उपयोग/बाल-देखभाल सहयोग, और बुनियादी कनेक्टिविटी—इन सुविधाओं को “व्यक्तिगत समस्या” नहीं, बल्कि शासन की आवश्यक शर्त मानकर व्यवस्थित किया जाए। साथ ही, अवरोध की स्थिति में स्तरवार शिकायत/कार्रवाई की स्पष्ट प्रक्रिया और लागू होने वाली जवाबदेही व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

संदर्भ सूची (रेफरेंसेज़)

- Advisory Committee on Women Pradhans (2025)** Report of the Advisory Committee on Transforming Women's Representation and Role in Panchayati Raj Institutions: Efforts to Eliminate Proxy Participation. Volumes I and II (annexures). New Delhi: Ministry of Panchayati Raj.
- Ambedkar, B.R. (1942)** Writings and Speeches, Vol. 17 (Part 3): The Rise and Fall of the Hindu Code Bill. New Delhi: Dr Ambedkar Foundation, Ministry of Social Justice and Empowerment, Government of India.
- Arya, S. and Rathore, L.S. (2020)** Dalit Feminist Theory: A Reader. New Delhi: Routledge India.
- Chattopadhyay, R. and Duflo, E. (2004)** 'Women as Policy Makers: Evidence from a Randomized Policy Experiment in India', *Econometrica*, 72(5), pp. 1409-1443.
- Ciotti, M. (2012)** Retro-Modern India: Forging the Low-Caste Self. London: Routledge.
- Election Commission of India (2024)** Compendium of Instructions on Election Expenditure Monitoring – Document 6 (Edition 12, December 2024). New Delhi: Election Commission of India.
- George, R., Samman, E., Washington, K. and Ojha, A. (2020)** Gender Norms and Women in Politics: Evaluating Progress and Identifying Challenges on the 25th Anniversary of the Beijing Platform. London: ODI/ALIGN.
- George, A.T. (2025)** Caste and political competition in a village panchayat: an ethnography of third-tier democracy in India. PhD thesis, University of Edinburgh.
- Government of India (Press Information Bureau) (2024)** 'Elected women representatives of Panchayati Raj Institutions to participate in CPD57 side event "Localizing the SDGs: Women in Local Governance in India Lead the Way"'. Press Information Bureau, Ministry of Panchayati Raj, 4 May.
- Harper, C., Marcus, R., George, R., et al. (2020)** Gender, power and progress: How norms change. London: ALIGN/ODI.
- Paik, S. (2021)** 'Dalit feminist thought', in L. Fernandes (ed.), *Routledge Handbook of Gender in South Asia* (pp. 55-69). London: Routledge.

ALIGN के बारे में

ALIGN (एडवॉर्सिंग लर्निंग एंड इनोवेशन ऑन जेंडर नॉर्म्स) एक डिजिटल मंच और कार्यक्रम है, जो शोधकर्ताओं, व्यावहारिक कार्यकर्ताओं और सामाजिक परिवर्तन के क्षेत्र में सक्रिय लोगों के वैश्विक समुदाय को सहयोग प्रदान करता है। यह समुदाय जेंडर न्याय और समानता के प्रति प्रतिबद्ध है।

ALIGN नवीन शोध, व्यावहारिक अनुभवों से प्राप्त अंतर्दृष्टियाँ, तथा ऐसे पहलों के लिए अनुदान उपलब्ध कराता है जो पितृसत्तात्मक जेंडर मानदंडों को समझने और उन्हें बदलने के प्रयासों को सुदृढ़ करते हैं।

ALIGN Programme

ODI Global
4 Millbank
London SW1P 3JA
United Kingdom
Email (ईमेल): align@odi.org.uk
Web (वेब): www.alignplatform.org

डिस्क्लेमर

यह दस्तावेज़ Advancing Learning and Innovation on Gender Norms (ALIGN) कार्यक्रम के अंतर्गत तैयार किया गया एक प्रकाशन है। इसमें व्यक्ति विचार और प्रस्तुत जानकारी आवश्यक नहीं कि ODI (ओडीआई), उसके साझेदारों या दाताओं के आधिकारिक दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करते हों।

ODI, उसके साझेदार और दाता, इस दस्तावेज़ में व्यक्ति विचारों या सूचनाओं के लिए, अथवा उन पर आधारित किसी भी प्रकार की निर्भरता के परिणामों के लिए उत्तरदायी नहीं हैं।

साइटेशन

Kumar, R. and Bakshi, E. (2026) From margins to leadership: caste and gender dynamics in India's local governance. ALIGN partner report summary. London: ALIGN/ODI Global.

कॉपीराइट

© ALIGN 2026. यह कार्य Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International Licence (CC BY-NC-SA 4.0) के अंतर्गत लाइसेंस प्राप्त है।

ALIGN को विभिन्न अंतरराष्ट्रीय दाताओं से वित्तीय सहयोग प्राप्त है और इसका नेतृत्व ODI Global द्वारा किया जाता है।